न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भारकर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 74/2019 G.C.M.S. No. 2019/00359 दर्ज दिनांक : 27.09.2019

अपीलार्थिगण:

1. सज्जन कंवर पत्नि हरनाथसिंह राजपूत
2. हरदेवसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह राजपूत
3. गुणवतकंवर पत्नि हरदेवसिंह राजपूत
4. मरूधरकंवर पत्नि गुणवतसिहं राजपूत, तमाम निवासीगण ग्राम मोरडु, तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)
5. स्वर्गीय मगसिंह पुत्र भोपालसिंह के का.मु.
   - 5/1. अर्जुनसिंह पुत्र स्व. मगसिंह
   - 5/2. महेन्द्रसिहं पुत्र स्व. मगसिहं
   - 5/3. दलपतसिहं पुत्र स्व. मगसिहं
   - 5/4. पुरणसिहं पुत्र स्व. मगसिहं
   - 5/5. जेठुसिहं पुत्र स्व. मगसिहं
   - 5/6. श्रवणसिहं पुत्र स्व. मगसिहं
   - 5/7. हिम्मतसिहं पुत्र स्व. मगसिहं

   5/1 से 5/7 जरिये मुख्तीयार हरदेवसिहं पुत्र लक्ष्मणसिहं
6. स्वर्गीय माधोसिहं के कायम मुकामः—
   - 6/1. मांगुसिह पुत्र माधोसिहं राजपूत
7. भँवरसिहं पुत्र भोपालसिहं राजपूत, निवासी घेनडी, तहसील देसुरी
8. स्वर्गीय देवकँवर पुत्री सवाई सिहं के का.मुः—
   - 8/1. सुरेन्द्रसिहं पुत्र भगवतसिहं
   - 8/2. दुर्लभसिहं पुत्र भगवतसिहं, जातिगण राजपूत, निवासीगण सिवास तहसील देसुरी, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. जब्बरसिहं पुत्र डुंगरसिहं
2. गजेन्द्रसिहं पुत्र जब्बरसिहं
3. स्वर्गीय पवनकंवर के कायम मुकामः—
   - 3/1. सुमेरसिहं पुत्र जब्बरसिहं
   - 3/2. स्व. हंसुकंवर पुत्री जब्बरसिहं के कायम मुकामः—
     - 3/2/1. महीपालसिहं पुत्र हंसुकंवर
     - 3/2/2. महावीरसिहं पुत्र हंसुकंवर
     - 3/2/3. रंजनकंवर पुत्री हंसुकंवर
   - 3/3. पुनमकंवर पुत्री जब्बरसिहं
   - 3/4. गुलाबकंवर पुत्री जब्बरसिहं
   - 3/5. सज्जनकंवर पुत्री जब्बरसिहं
   - 3/6. दिवानकंवर पुत्री जब्बरसिहं
   - 3/7. भंवरकंवर पुत्री जब्बरसिहं, तमाम जातिगण राजपूत, निवासीगण ग्राम मोरडु, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

4. स्वर्गीय सायरकंवर पुत्री जब्बरसिहं के का.मु:–
   4/1. नरपतसिहं पुत्र देवीसिहं
   4/2. मुमलकंवर पुत्री देवीसिहं तमाम जातिगण राजपूत, निवासीगण ग्राम मानी, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।
5. स्वर्गीय सवाई सिहं के कायम मुकाम:–
   5/1. स्व. लक्ष्मणसिहं पुत्र सवाई सिहं के कायम मुकाम:–
      5/1/1. जंगालकंवर पत्नि स्व लक्ष्मण सिहं
      5/1/2. हरनाथ सिहं पुत्र स्व लक्ष्मण सिहं
      5/1/3. गुणवतसिहं पुत्र लक्ष्मण सिहं
      5/1/4. युवराजसिहं पुत्र स्व लक्ष्मण सिहं
6. दीपसिह पुत्र सवाई सिहं
7. आनन्दसिहं पुत्र पाबुसिहं
8. माधुसिहं पुत्र पाबुसिहं
9. सुरजकंवर पुत्री पाबुसिहं
10. जीनाकंवर पुत्री पाबुसिहं
11. ओटाकंवर पुत्री पाबुसिहं
12. स्वर्गीय हरीसिहं के कायम मुकाम वारिसान:–
    12/1. कानसिहं पुत्र हरीसिहं
    12/2. जालमसिहं पुत्र हरीसिहं
    12/3. मुलसिहं पुत्र हरीसिहं
    12/4. छैलसिहं पुत्र हरीसिहं तमाम जातिगण राजपूत, निवासीगण ग्राम मोरडु, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी सुमेरपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/2012 बअनवान जब्बरसिंह वगैरह बनाम सवाईसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2017 एवं प्रार्थना पत्र वास्ते अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4
3. श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 7 से 11
4. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 12/1 से 12/4
5. श्री जितेन्द्रसिंह देवड़ा, श्री प्रहलाद सिंह चूण्डावत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 5/1/3
6. शेष रेस्पोंडेंट तर्क।

निर्णय

दिनांक: 09.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/2012 बअनवान जब्बरसिंह वगैरह बनाम सवाईसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

Scanned with OKEN Scanner

यह कि ग्राम भोरडू के खसरा संख्या 121, 137, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 145, 147, 148 की कुल कृषि भूमि रकबा 76.68 हेक्टेयर कृषि भूमि बाबत राजस्व वाद सहायक कलक्टर सुमेरपुर में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलांट संख्या 5 से 8 तथा अन्य रेस्पोंडेन्ट के विरूद्ध पेश कर इस अनुतोष की रिलिफ चाही कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा की बंटवाड़ा की डिक्री पारित की जावें तथा घोषणा की डिक्री पारित की जावें। अपीलांट सुरेन्द्रसिंह, दुर्लभसिंह व अर्जुनसिंह व मांगुसिंह व भीमसिंह की भी तामिल नहीं हुई तथा अन्य प्रतिवादीगण की भी तामिल नहीं हुई, न ही तामिल अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी की गई व वाद वास्ते तामिल मुकर्रर था। परन्तु बिना प्रक्रिया अपनाये बिना अपीलांट की तामिल करवाये निर्णय व डिक्री रेस्पोंडेन्ट के पक्ष में जारी कर दी। अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया, जवाब पेश करने का अवसर नही दिया गया तथा वाद डिक्लेरेशन का था इस कारण से पक्षकारों की सुनवाई किया जाना न्यायसंगत व आवश्यक था परन्तु बावजूद इसके भी बिना जवाब दावा प्राप्त किये, बिना तनकियात कायम किये, बिना साक्ष्य लिये जो निर्णय व डिक्री पारित की गई है वो विधि व तथ्य की भूल है। मगसिंह के वारिसान अपीलांट द्वारा सज्जनकंवर को कृषि भूमि का बेचाण कर दिया था तथा भंवरसिंह पुत्र देवीसिंह द्वारा अपनी कृषि भूमि का बेचाण गुणवंत कवर को कर दिया था तथा माधोसिंह के वारिसान द्वारा अपनी कृषि भूमि का बेचाण मरूधरकंवर को कर दिया था तथा भंवरसिंह पुत्र भोपालसिंह द्वारा हरदेवसिंह को अपनी कृषि भूमि का बेचाण कर दिया गया। जिसके संबंध में म्युटेशन संख्या 122, 120 स्वीकृत किया गया जो दिनांक 22.10.2012 तक स्वीकृत हो चुके थें। इस कारण जो अपीलांट संख्या 1 से 4 है, यह अपीलाधीन कृषि भूमि के हकदार थें। भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया था व उक्त जानकारी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 को थीं परन्तु जानबूझकर इनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। रजिस्टर्ड बेचाण होने के कारण तथा म्युटेशन दर्ज होने के कारण तहसीलदार जो आवश्यक पक्षकार मुकदमा वाद में हैं, इनको भी इस बात की जानकारी थीं कि अपीलांट संख्या 1 से 4 खातेदार हो चुके हैं, परन्तु बावजूद इसके भी अपीलांट को न तो पक्षकार बनाया न ही सुनवाई का अवसर दिया न अपीलांट के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित की गई। जमाबंदी में जो हिस्सेदारी दर्ज की गई है वह भी सही नहीं हैं। अपीलांट डूंगरसिंह के वारिसान है तथा रेस्पोंडेन्ट भी डूंगरसिंह के वारिसान है। परन्तु हिस्सेदारी का भी गलत रूप से जमाबंदी में दर्ज की गई हैं। जिसकी स्थिति अपीलांट के उपस्थित रहने पर ही न्यायालय के समक्ष रहेगी। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2017 को पारित की गई

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

इसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थीं। हल्का पटवारी दिनांक 11.09.2019 को अपीलांट की कृषि भूमि पर आया व अपीलांट संख्या 1 से 4 को यह कहा कि उक्त कृषि भूमि के बंटवाड़े हेतु तहरीर आई थी जिसके बाबत बंटवाड़ा किया जाना है व अपीलांट संख्या 1 से 4 का नाम नही है व अपीलांट संख्या 1 से 4 के पक्ष में बंटवाड़ें की डिक्री नही हों सकती हैं। इस प्रकार हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट को कहे जाने पर अपीलांट को निर्णय व डिक्री की प्रथम बार जानकारी वाद के निर्णय होने की हुई तब पर्टीकुलर प्राप्त करने हेतु व निर्णय की डिक्री प्राप्त करने हेतु सहायक कलक्टर सुमेरपुर में अपीलांट सज्जनकंवर गई व इस संबंध में जानकारी प्राप्त की तब अधिवक्ता से सम्पर्क कर नकल हेतु आवेदन दिनांक 12.09.2019 को पेश किया गया जिसकी नकल दिनांक 16.09.2019 को प्राप्त हुई। निर्णय व डिक्री की जानकारी 12.09.2019 को प्रथम बार हुई इस कारण इस जानकारी से अपील अंदर म्याद है तथा नकल प्राप्त करने के बाद अपीलांट पाली आये तथा अधिवक्ता से सम्पर्क किया, परन्तु पाली में अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार रहने के कारण दिनांक 26.09.2019 को अपील तैयार करवाई। तत्पश्चात उक्त अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद व अपील प्रस्तुत करने के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलांट संख्या 5 से 8 व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.06.2017 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 27.09.2019 को विलंब के साथ प्रस्तुत की। विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2017 को पारित की गई इसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थीं। हल्का पटवारी दिनांक 11.09.2019 को अपीलांट की कृषि भूमि पर आया व अपीलांट संख्या 1 से 4 को यह कहा कि उक्त कृषि भूमि के बंटवाड़े हेतु तहरीर आई थीं। जिसके बाबत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

बंटवाड़ा किया जाना है व अपीलांट संख्या 1 से 4 का नाम नहीं है व अपीलांट संख्या 1 से 4 के पक्ष में बंटवाड़े की डिक्री नही हो सकती हैं। इस प्रकार हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट को कहे जाने पर अपीलांट को निर्णय व डिक्री की प्रथम बार जानकारी वाद के निर्णय होने की हुई तब पर्टीकुलर प्राप्त करने हेतु व निर्णय की डिक्री प्राप्त करने हेतु सहायक कलक्टर सुमेरपुर में अपीलांट सज्जनकंवर गई व इस संबंध में जानकारी प्राप्त की, तब अधिवक्ता से सम्पर्क कर नकल हेतु आवेदन दिनांक 12.09.2019 को पेश किया गया जिसकी नकल दिनांक 16.09.2019 को प्राप्त हुई। निर्णय व डिक्री की जानकारी 12.09.2019 को प्रथम बार हुई इस कारण इस जानकारी से अपील अंदर म्याद है तथा नकल प्राप्त करने के बाद अपीलांट पाली आये तथा अधिवक्ता से सम्पर्क किया, परन्तु पाली में अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार रहने के कारण दिनांक 26.09.2019 को अपील तैयार करवाई। तत्पश्चात उक्त अपील प्रस्तुत की गई। मगसिंह के वारिसान अपीलांट द्वारा सज्जनकवर को कृषि भूमि का बेचाण कर दिया था तथा भंवरसिंह पुत्र देवीसिंह द्वारा अपनी कृषि भूमि का बेचाण गुणवंत कवर को कर दिया था तथा माधोसिंह के वारिसान द्वारा अपनी कृषि भूमि का बेचाण मरूधरकंवर को कर दिया था तथा भंवरसिंह पुत्र भोपालसिंह द्वारा हरदेवसिंह को अपनी कृषि भूमि का बेचाण कर दिया गया। जिसके संबंध में म्युटेशन संख्या 122, 120 स्वीकृत किया गया जो दिनांक 22.10.2012 तक स्वीकृत हो चुके थें। इस कारण जो अपीलांट संख्या 1 से 4 है, यह अपीलाधीन कृषि भूमि के हकदार थें। भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया था व उक्त जानकारी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 को थीं परन्तु जानबूझकर इनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। रजिस्टर्ड बेचाण होने के कारण तथा म्यूटेशन दर्ज होने के कारण तहसीलदार जो आवश्यक पक्षकार मुकदमा वाद में हैं, इनको भी इस बात की जानकारी थीं कि अपीलांट संख्या 1 से 4 खातेदार हो चुके हैं, परन्तु बावजूद इसके भी अपीलांट को न तो पक्षकार बनाया न ही सुनवाई का अवसर दिया न अपीलांट के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित की गई।

2. हमारे विनम्र मत में चूंकि अपीलांट संख्या 1 से 4 वादग्रस्त आराजीयात के सहखातेदार है तथा इन्हें पक्षकार संयोजित किए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अतः निर्णय दिनांक से अपीलांट संख्या 1 से 4 को संज्ञान होने की धारणा नहीं की जा सकती। साथ ही प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। चूंकि अपीलांट संख्या 1 से 4 का अपीलाधीन आराजीयात में हित निहित है। अतः दीगर पक्षकारान के साथ–साथ अपीलांट भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार है तथा विलंबकाल सद्भाविक

Scanned with OKEN Scanner

व युक्तियुक्त है। लिहाजा, रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुए विलंबकाल माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.06.2017 से पूर्व पत्रावली वास्ते जवाबदावा हेतु नियत थीं। साथ ही प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण की विधिवत तामील भी पूर्ण नहीं हुई थीं। इसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा समस्त प्रतिवादीगण की तलबी करवाए बिना तथा जवाबदावा प्राप्त किए बिना या जवाबदावा का अवसर बंद किए बिना पक्षकारान के मध्य सहमति/राजीनामा निष्पादित हुए बिना पत्रावली दिनांक 23.06.2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प में नियत कर किसी भी पक्षकारान की साक्ष्य लिए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। जबकि वादपत्रों के निर्णयन के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में प्रतिवादीगण की समुचित तामील उपरांत जवाबदावा प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए, दावा व जवाबदावा के आधार पर विवाद्यक कायम कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य, प्रतिरक्षा व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए वादपत्र निर्णित व डिक्री किया जाना आज्ञापक है तथा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं होने या प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने की दशा में वादीगण को साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए वादपत्र निर्णित व डिक्री किया जाना तथा उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा निष्पादित किए जाने की दशा में राजीनामा का विधिनुरूप परीक्षण कर राजीनामा विधिसम्मत पाये जाने की दशा में उसी अनुरूप वादपत्र निर्णित व डिक्री किया जाना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में उक्त प्रक्रियागत आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दूषित होने से पुष्टि योग्य नहीं हैं।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है– "No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties." इस प्रकार यह सुविस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है,

Scanned with OKEN Scanner

ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री समर्थन योग्य नहीं हैं।

5. अतः हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं होने तथा अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील बखूबी साबित करने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अपास्त करते हुए प्रकरण आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन करते हुए पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/2012 बअनवान जब्बरसिंह वगैरह बनाम सवाईसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 के संगत विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का समुचित अनुपालन करते हुए उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 05.02.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **09.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ. [redacted] बिश्नोई)
राजस्व अ[redacted] प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner